सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2012/35 दायर दिनांक 14.02.2012

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद अशरफ पुत्र अब्दुल गनी 2. मोहम्मद अलताफ पुत्र अब्दुल गनी जाति व्यापारी निवासीगण फतेहपुरी गेट डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 राजस्थान।	बनाम्	1. अब्दुल सतार पुत्र कालू व्यापारी निवासी खारिया तालाब डीडवाना 2. मोहम्मद यासीन पुत्र कालू व्यापारी 3. मोहम्मद सलीम पुत्र कालू व्यापारी 4. मोहम्मद युसुफ पुत्र कालू व्यापारी निवासीगण आस की ढाणी तहसील डीडवाना 5. बरकती बेवा शहाबुदीन व्यापारी निवासी आस की ढाणी तहसील डीडवाना 6. सलमा पुत्री शहाबुदीन व्यापारी पत्नी नवाब निवासी तेली रोड लाडनूं 7. रूकया पुत्री शहाबुदीन 8. आरिफ पुत्र शहाबुदीन 9. मदीना पुत्री शहाबुदीन 10. नौशाद पुत्र शहाबुदीन 11. अहसान पुत्र शहाबुदीन 12. शरीफ पुत्र शहाबुदीन प्रतिवादी 11 व 12 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बरकती बेवा शहाबुदीन व्यापारी प्रतिवादी सं0 5 समस्त जाति व्यापारी निवासीगण आस की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 13. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा — 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—
1. श्री मोहम्मद इकबाल, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री लालसिंह गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01, 02, 05, 08, 10

—:: निर्णय ::—

दिनांक 21.07.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 1659 रकबा 03 बिस्वा, खसरा सं0 1660 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा व खसरा सं0 1669 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद आस की ढाणी डीडवाना में अवस्थित है। जिसमें कुल रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है। नकल खतौनी वाद के साथ पेश है। वादीगण ने

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उक्त खेत खसरान की कुल 36 बीघा 04 बिस्वा के 1/2 पूर्व खातेदार गुली मोहम्मद उर्फ वली मोहम्मद पुत्र श्री खुदा बक्ष जाति व्यापारी से जरिये पंजीकृत बैचाण दिनांक 04.05.2011 को क्रय की थी तथा मौके पर ही उक्त बैचाण के साथ वादीगण को 1/2 भाग का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त बैचाण के पश्चात वादीगण अपने 1/2 भाग पर लगातार कब्जा काश्त करते आ रहे है। शेष 1/2 भाग पर प्रतिवादीगण काबिज है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि क्रय करने से पूर्व वाद पत्र के पद सं0 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में गुली मोहम्मद उर्फ वली मोहम्मद अपने 1/2 भाग पर सदैव से काश्त करता था तथा वह सदैव अपने हिस्से पर काबिज रहा तथा उसने अपने हिस्से वाली भूमि में ढाणी बना रखी थी तथा अपनी माता के साथ वहीं पर रहता तथा काश्त करता। उसकी माता के देहान्त के पश्चात उसने अपने चाचा के लडके गुलाम नबी उर्फ बांका को बांटे पर बता रखा था। उसके पश्चात उक्त भूमि का बैचाण वादीगण के पक्ष में प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बैचान कर दिया और वादीगण उक्त गुली मोहम्मद उर्फ वली मोहम्मद के 1/2 हिस्से वाले भाग का सआधिकार उपयोग व उपभोग करते हुए काश्त करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त खसरा नम्बरान के खेतों का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण यह बंटवारा का दावा करना लाजमी आया है। प्रतिवादी सं0 01 से 04 के अन्य भाई शहाबुदीन का स्वर्गवास हो चुका है परन्तु उक्त शहाबुदीन के वारिसान का नाम खातेदारी में नहीं चढा है। उक्त शहाबुदीन के प्रतिवादी सं0 05 से 12 वारिसान है। जिनमें से प्रतिवादी सं0 11 व 12 नाबालिग है तथा वे अपनी कुदरती वलिया माता प्रतिवादी सं0 05 बरकती के संरक्षण में रहते है जिसका हित अपने नाबालिग पुत्रान के विरीत नहीं है।

प्रार्थना वादीगण है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 1659 रकबा 03 बिस्वा, खसरा सं0 1660 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा व खसरा सं0 1669 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद आस की ढाणी का विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर 1/2 भाग की भूमि की स्वतंत्र खातेदारी वादीगण के नाम अमल दरामद करवाई जावें। खेत खसरा सं0 1659 रकबा 03 बिस्वा, खसरा सं0 1660 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा व खसरा सं0 1669 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद आस की ढाणी में वादी के बंट व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण ना तो स्वयं करें तथा ना ही अन्य से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 03, 04, 06, 07, 09, तथा 11 से 13 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रतिवादीगण सं0 01, 02, 05, 08, 10 की तरफ से वकील श्री लालसिंह गोदारा ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 16.03.2017 को जवाब पेश किया। जवाब दावा अनुसार वादीगण के कथन को गलत बताया कि उक्त खेतों की खसरा नम्बर की कुल भूमि 36 बीघा 04 बिस्वा के 1/2 भाग के खातेदार गुली मो0 ने वादी पक्ष को पंजीकृत बैचान कर दिया है जबकि गुली मो0 को उक्त खातेदारी के खेतों में कोई विधिक अधिकार नहीं है। खुदा बक्ष के स्वर्गवास के पश्चात उक्त सम्पूर्ण खेतों पर कब्जा काश्त खुदा बक्ष के बडे पुत्र कालू का ही रहा क्योंकि खुदा बक्ष का दुसरा पुत्र गुली मो0 उर्फ वली मो0 तो प्रारम्भ से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा पूर्णतया मन्द बुद्धि रहा है। वह सदैव अपने बडे भाई कालू के साथ ही रहा और उक्त गुली मोहम्मद

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद संख्या 2012/36
दायर दिनांक 14.02.2012, निर्णय दिनांक 21.07.2017
मो0 अशरफ बनाम [illegible]

का विवादित खसरान नम्बरान पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। सम्पूर्ण खेत पर कुंआ बस व कई लड़के कालू का ही कब्जा काश्त रहा है और कालू का स्वर्गवास सन् 1999 में हो गया कालू के स्वर्गवास के पश्चात वर्तमान तक उक्त सम्पूर्ण खेत पर अर्थात 38 बीघा 04 बिस्वा पर वास्तविक कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

उपरोक्त पक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर तनकियात कायम की गई। वादी मो0 अशरफ ने अपनी साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया तथा साथ ही नजरी नक्शा पेश किया, जिसके अनुसार बंटवारा होना अभिकथित किया। बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने उक्त आराजी विक्रेता गुली मोहम्मद से जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 14.05.2011 को क्रय की है विक्रेता गुली मोहम्मद उक्त खसरान में सहखातेदार रहा है जिसको अपना हिस्सा बेचने का पूर्ण अधिकार है। चूंकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में उक्त खाता के संबंध में किसी प्रकार का कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया है उक्त सम्पूर्ण खाता की भूमि प्रतिवादीगण के पास किस प्रकार से आई और प्रतिवादीगण ने गुली मोहम्मद के हिस्से की भूमि बाबत घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है। इस प्रकार गुली मोहम्मद की उक्त सम्पति में 1/2 हिस्सा व कब्जा रहा है तथा अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि को बेचान करने का विक्रेता गुली मोहम्मद को पूर्ण अधिकार प्राप्त होने पर विक्रेता गुली मोहम्मद के बेचान के पश्चात वादीगण उक्त आराजी में सह खातेदार व काबिज है। वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा करवाने के कानूनन अधिकारी है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री साबित किया जाता है।

आदेश

हस्ब जरिये दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शाअनुसार डिक्री साबित कर मजरूद आस की ढाणी के खसरा सं0 1656 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं0 1660 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 1669 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा का नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा कर वादी व प्रतिवादीगण का स्वतंत्र खातेदार आवश्यकतानुसार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

(शिवसिंह मेघवाल)
R.A.S.
[illegible]
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 21.07.2017 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(शिवसिंह मेघवाल)
[illegible]
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2012/35 दायर दिनांक 14.02.2012

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद असरफ पुत्र अब्दुल गनी वगैराह जाति व्यापारी निवासी फतेहपुरी गेट डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अब्दुल सतार पुत्र कालू व्यापारी निवासी खारिया तालाव निवासी डीडवाना वगैराह तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 21.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 इकबाल, अधिवक्ता, वादीगण व श्री लालसिंह गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01, 02, 05, 08, 10 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब जरिये दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शाअनुसार डिक्री सादिर कर सरहद आस की ढाणी के खसरा सं0 1659 रकबा 03 बिस्वा, खसरा सं0 1660 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 1669 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा का नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.07.2017 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner